निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 32/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये निर्मला चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री साफेज अली पुत्र श्री अय्यूब खान, निवासी 346, नूरजहां पार्षद वाली गली, संसार चन्द्र रोड, जालुपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा **09 घरेलू गैस सिलेण्डर (08बी.पी.सी.एल. एवं 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एलपीजी 100.820 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा** को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय — दिनांक **28.01.2025**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के **व्यावसायिक उपयोग** की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक **12.05.2024 को मकान नम्बर 346, नूरजहां पार्षद वाली गली, जालुपुरा जयपुर की जांच की गई। मौके पर श्री साफेज अली उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (08बी.पी.सी.एल. एवं 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एलपीजी 100.820 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रय–विक्रय कर ऑटो में गैस भरने का कार्य किया जाता हैं। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैघ व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है,** जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के **आदेश दिनांक 14.05.2024** को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ, अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते बहस पैराकार रसद नियत की गई।
3. बहस पैरोकार रसद सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **मकान नम्बर 346, नूरजहां पार्षद वाली गली, जालुपुरा जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (08बी.पी.सी.एल. एवं 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एलपीजी 100.820 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा पाये गये। मौके पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से ऑटो में 75 रूपये प्रतिकिलो से अवैघ तरीक से गैस भरने का कार्य किया जाता है। मौके पर मैसर्स पण्डित गैस सर्विस, जयपुर के प्रतिनिधि श्री मोती सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह को बुला कर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 100.820 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई।** मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. पैरोकार रसद की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक **12.05.2024** का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच **09 घरेलू गैस सिलेण्डर (08बी.पी.सी.एल. एवं 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एलपीजी 100.820 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रय–विक्रय कर ऑटो में गैस भरने का कार्य किया जाकर व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरर्स का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है।** घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से **एल.पी.जी. का अवैध व्यावसायिक उपयोग** किया जा रहा है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैघ मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **09 घरेलू गैस सिलेण्डर (08बी.पी.सी.एल. एवं 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एलपीजी 100.820 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक **14.05.2024 को** अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है, तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner